रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072026-275001
CG-DL-E-31072026-275001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948
No. 621] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 683(अ).— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज संरक्षण और विकास (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम 1 अगस्त, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 (इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाएगा), नियम 27 में,—

(क) उप-नियम (2) में, “बैंक गारंटी" शब्दों के पश्चात, "या बीमा प्रतिभू बांड" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (6) में, “बैंक गारंटी" शब्दों के पश्चात, "या बीमा प्रतिभू बांड" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 35 में, -

(क) उप-नियम (4ख) का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (5), के परंतुक में, कोष्ठक, आंकड़ा और पत्र "(4ख)" का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 45 में, -

(क) उप-नियम (7) में, खंड (क) में, उप-खंड (ii) के लिए, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा जाएगा, अर्थात्: -

"(ii) खान और खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 के अनुसार नियम के उल्लंघन के लिए शास्ति के न्यायनिर्णयन की शुरुआत करने के लिए कार्रवाई करना;"

(ख) उप-नियम (7क) में,—

(i) खंड (ii) में, उप-खंड (क) में, "अनुसूची-II में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी रकम" शब्दों के लिए, "खान और खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 के अनुसार शास्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (iii) में, "अनुसूची-II में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी रकम" शब्दों के लिए, "खान और खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 के अनुसार शास्ति" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 62 के लिए, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"**62. शास्ति**. – जो कोई भी इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह धारा 25क और धारा 25ख और उसके अधीन बनाए गए नियमों (अर्थात; खान और खनिज शास्ति का न्यायनिर्णयन नियम, 2026) के उपबंधों के अनुसार शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

6. उक्त नियमों में, "अनुसूची-2" और "अनुसूची-3" का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एम.VI.-16/51/2026-खान VI (भाग-1)]

कुलवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 169(अ), तारीख 27 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधित किए गए थे, अर्थात:—

1. सा.का.नि. 289(अ), तारीख 27 मार्च, 2018;
2. सा.का.नि. 570(अ), तारीख 13 अगस्त, 2019;
3. सा.का.नि. 780(अ), तारीख 3 नवंबर, 2021;
4. सा.का.नि. 294(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2022;
5. सा.का.नि. 51(अ), तारीख 21 जनवरी, 2024;
6. सा.का.नि. 232(अ), तारीख 16 अप्रैल, 2025; और
7. सा.का.नि. 449(अ), तारीख 5 जून, 2026।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2026

G.S.R. 683(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Conservation and Development Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement: — *(1)* These rules may be called the Mineral Conservation and Development (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 1st day of August, 2026.

2. In the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 27, —

(a) in sub-rule *(2),* after the words "bank guarantee", the words "or insurance surety bond" shall be inserted;

(b) in sub-rule *(6),* after the words "bank guarantee", the words "or insurance surety bond" shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 35, –

(a) sub-rule (4B) shall be omitted;

(b) in sub-rule *(5),* in the proviso, the brackets, figure and letter "(4B)" shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 45, –

(a) in sub-rule *(7),* in clause *(a),* for sub-clause *(ii),* the following sub-clause shall be substituted, namely: –

"(ii) take action to initiate adjudication of penalty for contravention of rules in accordance with the Mines and Minerals Adjudication of Penalties Rules, 2026;";

(b) in sub-rule *(7A),* –

(i) in clause *(ii),* in sub-clause *(a),* for the words "such amount as specified in Schedule II", the words "penalty in accordance with the Mines and Minerals Adjudication of Penalties Rules, 2026 "shall be substituted;

(ii) in clause *(iii),* for the words "such amount as specified in Schedule II", the words "penalty in accordance with the Mines and Minerals Adjudication of Penalties Rules, 2026" shall be substituted;

5. In the said rules, for rule 62, the following rule shall be substituted, namely: –

"**62. Penalty. –** Whoever contravenes the provisions of these rules shall be liable to penalty in accordance with the provisions of section 25A and 25B and the rules made thereunder (*i.e., the* Mines and Minerals Adjudication of Penalties Rules, 2026).".

6. In the said rules, "SCHEDULE – II" and "SCHEDULE – III" shall be omitted.

[F. No. M.VI -16/51/2026-Mines VI (Part 1)]

KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy.

Note: – The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section *(i), vide* notification number G.S.R. 169 (E) dated the 27th February, 2017 and were subsequently amended as follows:–

1. G.S.R. 289 (E), dated the 27th March, 2018;
2. G.S.R. 570 (E), dated the 13th August, 2019;
3. G.S.R. 780 (E), dated the 3rd November, 2021;
4. G.S.R. 294 (E), dated the 11th April, 2022;
5. G.S.R. 51 (E), dated the 21st January, 2024;
6. G.S.R. 232 (E), dated the 16th April, 2025; and
7. G.S.R. 449 (E), dated the 5th June, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA